dfosoillansdowne@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः–2545/12-1 दिनांक,लैन्सडौन, 12/05/2023

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सतपुली,
पौडी गढवाल।

विषयः– **जनपद–पौडी गढवाल में नगर पंचायत सतपुली सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण हेतु 0.600 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु नगर पंचायत, सतपुली को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केदीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/09/61/2022/एफ0 सी0/1290 दिनांक 27.12.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/09/61/2022/एफ0 सी0/2022 दिनांक 27.12.2022 द्वारा उक्त कार्य हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है,

1. अवनत वन भूमि में वित्तिय वर्ष 2022–23 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि का विवरणः–
   क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि –0.6 X 2= 1.2 है0
   क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है0 –407992.00
   क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि –1.2 X 407992= 489590.40
   या 489590.00(चार लाख उन्नासी हजार पांच सौ नब्बे)

2- एन0पी0वी की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार हैः–
   ईको क्लास – V
   हरियाली का घनत्व –0.4
   एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 –1005210.00
   आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 0.6 है0
   एन0पी0वी0 की धनराशि –0.6 X 670140= 603126 (छः लाख तीन हाजर एक सौ छब्बीस मात्र)
   अतः उपरोक्तानुसार मदवार धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

(दिनकर तेवाडी)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

पत्रांक /12–1, दिनांकित।

प्रतिलिपिः–1 अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–2 वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दिनकर तेवाडी)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

।। कार्यालय नगर पंचायत सतपुली, पौडी गढवाल ।।

पत्रांक 164 /भू0ह0 /न0प0स0/2022–23 दिनांक 18 अगस्त, 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन।

विषयः– जनपद–पौडी गढवाल में नगर पंचायत सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ठ का प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु 0.600 है0 भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु नगर पंचायत सतपुली को प्रत्यावर्तन के सम्बंध में। (Online No-FP/UK/OTHERS/149743/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/09/61/2022/एफ0सी0/1290 दिनांक 27/12/2022 के द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ठ का प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु 0.600 है0 भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु नगर पंचायत सतपुली को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है।

क्र0सं	शर्ते	प्रतिउत्तर
1	वन भूमि की विधिक परिस्थियां नही बदली जायेगी	प्रस्तावक मान्य होगा
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी	प्रस्तावक मान्य होगा
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1200 पौधों का रोपण कार्य ग्राम बबीना, पट्टी मल्ला बदलपुर–2 खसरा सं0 4250 में किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.2 ha areea (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 1092716.00 कैम्पा मद में जमा कर दी गयी है। संलग्न रंगीन छाया प्रति प्रमाणित ।
ख	वृक्षारोपण किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, वृक्षारोपण योजना, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रस्तावक मान्य होगा
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदुरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएग। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रस्तावक मान्य होगा
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बंध में भारत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.600 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्तावक मान्य होगा

Scanned with OKEN Scanner

।। कार्यालय नगर पंचायत सतपुली, पौडी गढवाल ।।

ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्त अभिकरण अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार को देने के लिए बचनवद्ध रहेगा।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	प्रस्तावक मान्य होगा
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में सीनांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रस्तावक मान्य होगा
8	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रस्तावक मान्य होगा
9	State Govt will submit the technical and financial for the mitigation	प्रस्तावक मान्य होगा
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रस्तावक मान्य होगा
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।	प्रस्तावक मान्य होगा
12	नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	प्रस्तावक मान्य होगा
13	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक मान्य होगा
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोग कर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृती यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक मान्य होगा
15	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रस्तावक मान्य होगा
16	वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रस्तावक मान्य होगा
17	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधर के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रस्तावक मान्य होगा
18	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward /backward bearings अंकित हों।	प्रस्तावक मान्य होगा
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रस्तावक मान्य होगा
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रस्तावक मान्य होगा
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017– FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रस्तावक मान्य होगा
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी ।	प्रस्तावक मान्य होगा

Scanned with OKEN Scanner

।। कार्यालय नगर पंचायत सतपुली, पौडी गढवाल ।।

24	प्रयोक्ता अधिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट सीलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे । किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक मान्य होगा
25	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रस्तावक मान्य होगा
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक मान्य होगा

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत सतपुली

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मा0 अध्यक्ष महोदया, नगर पंचायत सतपुली पौडी गढवाल ।
3. जिलाधिकारी महोदय, पौडी गढवाल।
4. सम्बंधित पत्रावली।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत सतपुली

Scanned with OKEN Scanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 14-06-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	NAGAR PANCHAYAT SATPULI
PIF/Application No.	199149743191
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/61/2022/FC
Address.	nagar panchayat satpuli tehshil satpuli Pauri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 npsatpuli@gmail.com 941096403 1386-0000
Amount(in Rs)	1092716/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: Ten Lakh Ninety-Two Thousand Seven Hundred and Sixteen Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile Number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies m

Note: After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy o id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र 30

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector -------**

No 02

Dated 01-02-2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.600 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Nagar Panchayat Satpuli for construction Trenching graund.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.600 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha (s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 2 annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
गढ़वाल

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र 30.1

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand — Office of the District Collector

No 03 — Dated 01-02-2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.600 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Nagar Panchayat Satpuli for construction of **Trenching Ground** **in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Satpuli malli** village in tehsils **Satpuli.**

It is further certified that:

(a) **the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.056 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 2**

(b) **the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;**

(c) **the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure 1 to annexure 1**

(d) **the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;**

(e) **the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;**

(f) **the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA**

Eucl :- **As above.**

Signature(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
पौड़ीगढ़वाल

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र –30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pauri Grahwal (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr Dhiraj Singh Garbyal** I.A.S Deputy commissioner, Pauri Garhwal on dated 01-02-2021 at time ..11.....at ..... in which application claiming rights in ..... area measuring **0.600 hect** for the construction of ..... forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Lansdowne** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Pauri Garhwal

Dated:...1-2-2021

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम :– **जनपद पौडी गढवाल में नगर पंचायत सतपुली सीमान्तर्गत नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण हेतु 0.600 हे0 भूमि नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सतपुली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, सतपुली

उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत **नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण** (0.600 हे0 वन पंचायत भूमि,) का अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सतपुली, पौड़ी गढवाल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सतपुली) की दिनांक 23-1-2021 .. को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संदीप कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री संदीप कुमार उपजिलाधिकारी अध्यक्ष, (हस्ताक्षर सील सहित) उपजिलाधिकारी सतपुली (गढ़वाल)

2– श्री गिरीश चन्द बेलवाल उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य, (हस्ताक्षर सील सहित) उप प्रभागीय वनाधिकारी (कोटद्वार) लैन्सडौन वन प्रभाग

3– श्री हरपाल सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य (हस्ताक्षर सील सहित) सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि०ख० दुगड्डा

4– श्रीमती अन्जना वर्मा अध्यक्षा न0पं0सतपुली क्षेत्र सदस्य (हस्ताक्षर सील सहित)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण** परियोजना हेतु. **0.600** हे0 वन पंचायत भूमि **अधिशासी अधिकारी नगर पचांयत सतपुली** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। नगर पंचायत सतपुली के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अन्तर्गत **नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण** परियोजना के निर्माण हेतु **0.600 हे0** वन भूमि **अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सतपुली** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सतपुली
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, पौडी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/01/2021

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सतपुली
जनपद– पौड़ी गढ़वाल

Scanned with OKEN Scanner

जनपद– पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	**जनपद पौडी गढवाल में नगर पंचायत सतपुली सीमान्तर्गत नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण हेतु 0.600 हे0 भूमि नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम सतपुली मल्ली
तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **पौड़ी गढ़वाल** के अन्तर्गत **नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण** परियोजना के निर्माण हेतु (0.600 हे0 वन पंचायत भूमि,) का **नगर पंचायत सतपुली** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सतपुली मल्ली द्वारा दिनांक 17-1-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सतपुली मल्ली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **नगरीय ठोस का अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसस्करण एंव वैज्ञानिक निस्तारण** हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

दिनांक 17-01-2018

Scanned with OKEN Scanner

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नगर पंचायत सतपुली मे कूड़ा निस्तारण हेतु ग्राम- सतपुली मल्ली, पट्टी लंगूर वल्ला के हाल खतौनी खाता सं० 06 के खसरा सं० 1968 मध्ये रकबा 0.600 है० भूमि जो कि वर्तमान मे प्रबन्ध पंचायत जंगल के नाम- भू- अभिलेखो मे दर्ज है प्रस्तावित भूमि का वन पंचायत सरपंच व सभी ग्राम वासियो के समक्ष अनापत्ति प्रमाण हेतु बैठक दिनांक 17.01.2018 मिलन केन्द्र सतपुली मल्ली मे हुई जिसमे [illegible] ग्राम वासियो व सरपंच वन द्वारा कोई आपत्ति नही है।

1. जितेन्द्र सिंह वन सरपंच, [signature]
2. संजय सिंह पूर्व क्षे० पं०, सदस्य, संजय
3. देवेन्द्र सिंह
4. [illegible] [signature]
5. इकबाल सिंह [signature]
6. [illegible]
7. प्रभा देवी
8. [illegible] देवी
9. अनिता देवी
10. सुनीता देवी
11. राजेश्वरी देवी
12. किसनी देवी
13. विद्याता देवी
14. लक्ष्मी देवी
15. अनिल सिंह
17. [illegible] सिंह [signature]
18. राजचन्द्री देवी
19. देवेश्वरी देवी
20. सतीश्वरी देवी
21. यशोदा देवी
22. सुमित्रा देवी
23. [illegible] देवी
24. लक्ष्मी देवी
25. बीना देवी
26. सुनीता देवी
27. ऊषा देवी
28. [illegible]
29. राजेश्वरी देवी
30. गंगोत्री देवी
31. मक्खा देवी
32. रजनी देवी

(16) दमयन्ती

प्रकाश [signature]

It is further certified that Minutes of Meeting of Construction of Trenchig graund land 0.600 htr Regarding FRA is as following.

Sr.No		Remark
1	The complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 0.600 hectares of forest area proposed for division. A copy of record of all consultation and meeting of forest righjt committee(s), sub Divisons Level committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitation belonging to scheduled tribes tribes and other tredotional forest dwellers.
2	The ndiversion of forest land for facilities managed by the govement as required under section 3(2) of FRA have been completed and gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitation belonging to scheduled tribes tribes and other tredotional forest dwellers. No objection certificate of aforesaid villages regarding construction of aforesaid construction of Trenching graund is attached
3	The proposai does not onvole recognized right of primitive tribal groups and pre- agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitation belonging to scheduled tribes tribes and other tredotional forest dwellers.

अध्यक्ष
जिला पंचायत सदस्य /अध्यक्ष
पौड़ी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैंसडौन (गढ़वाल)

वनक्षत्राधिकारी
ब्यहरीखाल राजि
संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

अधिशासी अधिकारी
जिला पंचायत पौड़ी

जिलाधिकारी गढ़वाल
जिलाधिकारी
गढ़वाल

प्रतिलिपि

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांकः– 865/12-1 दिनांक,लैन्सडौन, 16/11/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– जनपद–पौडी गढवाल में नगर पंचायत सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ठ का प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु 0.600 है0 भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु नगर पंचायत सतपुली को प्रत्यापर्तन के सम्बंध में।(Online No- FP/UK/OTHERS/149743/2021)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/09/61/2022/एफ0सी0/ 1290 दिनांक 27.12.2022 व इस कार्यालय के पत्रांक 674/12–1 दिनांक 12.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद–पौडी गढवाल में नगर पंचायत सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु 0.600 है0 भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन संशोधित सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	शर्ते	प्रतिउत्तर
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1200 पौधों का रोपण कार्य ग्राम बबीना, पट्टी मल्ला बदलपुर–2 खसरा सं0 4250 में किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.2 ha areea (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेषी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेषन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षीय योजना की धनराशि रु0 1092716.00 कैम्पा मद में जमा कर दिया गया है। जिसकी रंगीन छायाप्रति सलग्न है (सलग्न–1) प्रभाग द्वारा व प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
ख	वृक्षारोपण किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल, वृक्षारोपण योजना, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रभाग द्वारा मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएग। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बंध में भारत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।

Scanned by CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

	2003, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मन्त्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशनिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.600 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रुप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है। प्रस्तावक विभाग द्वारा बचन बद्व पत्र सलग्न है। **(सलग्न–2)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा कर दिया गया है। **(सलग्न–3)**
8	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र संलग्प है। **(सलग्न–4)**
9	State Govt will submit the technical and financial for the mitigation	उच्च स्तर से कार्यवाही की जायेगी।
10	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।	प्रभाग द्वारा मान्य है।
12	नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	उच्च स्तर से कार्यवाही की जानी है।
13	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।	प्रभाग व प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोग कर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृती यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
15	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
16	वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
17	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधर के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विषेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
18	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward /backward bearings अंकित हों।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।

Scanned with OKEN Scanner

	के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017– FC दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी ।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
24	प्रयोक्ता अधिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट सीलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावष्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे । किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
25	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।

उक्त मार्ग में सैद्वान्तिक स्वीकृति का अधोरोपित सभी शर्तो का पूर्णतः अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें जिससे मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

सलग्नः– 1. भुगतान की प्रति।
2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

भवदीय

(नवीन चन्द्र पंत)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

पत्रांक 865 / 12–1, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता ,एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड पी0आई0यू0–दुगड्डा।

(नवीन चन्द्र पंत)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन

Scanned with OKEN Scanner